राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1431/2013/जोधपुर

मैसर्स नारायण सिंह पुत्र श्री सांग सिंह,
534, नया बेरा, शेरगढ, जोधपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन),
वाणिज्यिक कर, जोधपुर ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री नरेन्द्र सिंह राठौड,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/01/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के क्रमांक उपाजो/कर/111/2013–14 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) कीं धारा 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.04.2013 के विरूद्ध **'वेट अधिनियम'** की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–'ई', जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 14.02.2011 को अपीलार्थी व्यवसायी का कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का एकतरफा आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध कर, ब्याज व, शास्ति कुल 8,55,354/– की मांग आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर ने आदेश दिनांक 30.04.2013 के द्वारा व्यवसायी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया था परन्तु स्वयं की बीमारी के कारण वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था यह एक समुचित कारण था जिसकी वजह से वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था। परन्तु इस तथ्य को नहीं मानकर उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और न ही उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया है तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी बिना किसी उचित कारण से उनकें आवेदन धारा 34 को अस्वीकार कर दिया। अतः

लगातार.....2

अपील स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाए कि व्यवसायी को सुनकर आदेश पारित करे।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक ने व्यवसायी के अभिभाषक के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को नोटिस जारी किया है। नोटिस की सूचना के बाद भी व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और न ही रिर्टन प्रस्तुत किये है चूंकि प्रकरण अवधिपार होने जा रहा था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो उचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाए।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह एकलपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2011 को अपीलार्थी व्यवसायी का कर निर्धारण वर्ष 2008–09 आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध कर, ब्याज व शास्ति कुल 8,55,354/– की मांग आरोपित कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), जोधपुर ने आदेश दिनांक 30.04.2013 के द्वारा व्यवसायी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2011 हेतु कोई नोटिस अपीलार्थी को तामील नहीं है। यही नहीं ऐसा कोई नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध भी नहीं है जो नोटिस उपलब्ध है वे पूर्व की दिनांको के है। साथ ही दिनांक 14.02.2011 को अपीलार्थी अस्वस्थ था जिसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश किया है अतः यह मानने का पर्याप्त आधार है कि दिनांक 14.02.2011 को वह समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को पर्याप्त समय नहीं मिल सका। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है अतः एक अवसर दिया जाना उचित होगा। अतः यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अतः उपायुक्त (प्रशासन) के व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करे।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार कर प्रकरण उपरोक्त निर्देशानसुार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी व्यवसायी को भी यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 18.03.2014 को अपना पक्ष रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

31.1.14

(अमर सिंह)

सदस्य